संजय किशन कौल, मुख्य न्यायधीश और ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह, न्यायधीश. के समक्ष

एम/एस. गुरदियाल सिंह एंड संस एंड अन्य
बनाम दिल्ली वित्तीय निगम और अन्य-उत्तरदाता

CWPN No.l4836 of 1999,
जुलाई 11,2013

भारत का संविधान, 1950- अनुचछेद 226-राज्य वित्तीय निगम अधिनियम, 1951 29, 31 और 32 जी याचिकाकर्ता No. l, एक साझेदारी चिंता ने पेट्रोलियम उत्पादों के परिवहन के लिए चेसिस के प्राथमिकता आवंटन के लिए आवेदन किया-याचिकाकर्ता 2 से 4 याचिकाकर्ता नं। 1, ने चेसिस की खरीद के वित्तपोषण के लिए दिल्ली वित्तीय निगम (डीएफसी) से संपर्क किया, कानूनी समझौता किया-चेसिस की डिलीवरी में 6 महीने लगे-याचिकाकर्ता ने डीएफसी से अनुरोध किया कि वह पोस्ट डेट चेक प्रस्तुत न करे - पट्टा समझौते को रद्द करने के लिए जारी कारण बताओ नोटिस-डीएफसी द्वारा समाप्त पट्टा समझौता-डीएफसी द्वारा ली गई ट्रॉलियों का कब्जा-गारंटीदाताओं की संपार्श्विक सुरक्षा और बंधक संपत्ति के कब्जे को लेने के लिए जारी किया गया नोटिस-सीडब्ल्यूपी के माध्यम से आक्षेपित नोटिस-नोटिस रद्द-आयोजित, S.29 का सहारा नहीं लिया जा सकता है गारंटरों की संपत्तियों के खिलाफ एक दंडात्मक प्रक्रिया के रूप में लेकिन केवल औद्योगिक चिंता तक ही सीमित है-निगम अधिनियम के S.31 और 31G का सहारा ले सकता है।

फील्ड, कि कुछ ट्रॉलियों पर कब्जा करने के प्रयास के साथ विवाद बढ़ गया। इस बात पर कुछ विवाद है कि ट्रॉलियों का कब्जा कब लिया गया था, क्योंकि याचिकाकर्ताओं के अनुसार, यह सितंबर 1997 में था, जबकि उत्तरदाताओं ने कहा कि यह मार्च 1998 में था। इतना ही नहीं, प्रतिवादियों द्वारा दिनांक 24.9.1999 (अनुलग्नक पी-22) के एक नोटिस द्वारा Rs.71,62,193.91 के कथित बकाया का भुगतान न करने पर संपार्श्विक प्रतिभूति के रूप में दी गई संपत्ति का कब्जा लेने की धमकी दी गई थी और राज्य वित्तीय निगम अधिनियम, 1951 (इसके बाद 'उक्त अधिनियम' के रूप में संदर्भित) की धारा 29 के प्रावधानों का सहारा लेकर गारंटरों की बंधक संपत्ति का कब्जा लेने की मांग की गई थी।इसके अलावा यह अभिनिर्धारित किया गया कि एकल उच्चतम न्यायालय ने यह मत व्यक्त किया कि इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि नागरिकों के सामान्य अधिकारों के अपमान में विशेष प्रावधान किए गए हैं, कानून को सख्त निर्माण प्राप्त होना चाहिए। किसी औद्योगिक संस्था के दायित्व की वसूली उक्त अधिनियम की धारा 29 और 31 के दोनों प्रावधानों का सहारा लेकर या यहां तक कि उक्त अधिनियम की धारा 32 जी के तहत भी की जा सकती है। कम से कम, एक वित्तीय निगम के पक्ष में दी गई जमानत या गारंटी या औद्योगिक संस्था के लाभ के संबंध में यही स्थिति नहीं होगी। यह औद्योगिक सरोकार की संपत्ति होनी चाहिए।

(Para 5)

इसके अलावा यह अभिनिर्धारित किया गया कि उक्त अधिनियम की धारा 31 में वित्तीय निगम द्वारा दावे को लागू करने के लिए विशेष प्रावधान हैं।हालांकि, वे एक समझौते के उल्लंघन पर, एक वित्तीय निगम को जिला न्यायाधीश को आवेदन करने का अधिकार देते हैं, जिसके अधिकार क्षेत्र की सीमाओं के साथ औद्योगिक सरोकार व्यवसाय करता है, गिरवी, गिरवी, काल्पनिक या असाइन की गई संपत्ति की बिक्री के लिए आदेश के लिए जिसमें किसी भी मुचलके के दायित्व को लागू करना शामिल है। धारा 32 जी भूमि राजस्व के बकाया के रूप में वित्तीय निगम को देय राशि की वसूली का अधिकार देती है।

(Para 6)

इसके अलावा यह अभिनिर्धारित किया गया कि हमारे विचार में, उपरोक्त निर्णय में कोई संदेह नहीं है कि धारा 29 का सहारा गारंटरों की संपत्तियों के खिलाफ एक दंडात्मक प्रक्रिया के रूप में नहीं लिया जा सकता है, बल्कि यह केवल औद्योगिक सरोकार के लिए है। तथ्य यह है कि उधार लेने वाली संस्था एक पंजीकृत साझेदारी है और गिरवी रखी गई संपत्ति संयुक्त रूप से इसके भागीदारों के स्वामित्व में है-पीटीसीआर नंबर. 2 से 4 तक इस संबंध में कोई फर्क नहीं पड़ेगा जैसा कि उपरोक्त निर्णय में स्पष्ट किया गया है। यह, निश्चित रूप से, दस्तावेज प्रत्यर्थी-निगम को कानून के अनुसार उक्त अधिनियम की धारा 31 और 32 जी के प्रावधानों का सहारा लेने से नहीं रोकते हैं।

(Para 11)

याचिकाकर्ताओं की ओर से पंकज गुप्ता, अधिवक्ता।
संजीव घई, अधिवक्ता/या उत्तरदाता।

संजय किशन कौल, मुख्य न्यायधीश

(l) याचिकाकर्ता नं. 1 एक साझेदारी चिंता है जिसमें याचिकाकर्ता No.2 और 4 आर्क भागीदार हैं। याचिकाकर्ता नं. 1 ने भारतीय तेल निगम (आईओसी) की एक योजना के तहत पेट्रोलियम उत्पादों के परिवहन के लिए केवल तेल टैंकरों के चेसिस का आवंटन प्राप्त करने के लिए आवेदन किया और इसके अनुसार आईओसी ने प्राथमिकता के आधार पर टेल्को द्वारा 20 चेसिस के आवंटन के लिए एक पत्र जारी किया। इन चेसिस की खरीद के वित्तपोषण के लिए, पी. टी. आई. एन. सी. एल. ने दिल्ली वित्तीय निगम (डी. एफ. सी.) के उत्तरदाताओं से संपर्क किया। इसके परिणामस्वरूप पट्टे का समझौता दलों के बीच हुआ। इसी तरह की व्यवस्था अन्य 12 चेसिस के लिए भी की गई थी। यह याचिकाकर्ताओं के लिए आसान है कि चेसिस की पहली आपूर्ति देने में छह महीने लग गए, जिसके लिए 20.12.1996 को उत्तरदाताओं को एक संचार की आवश्यकता थी, जिसमें पोस्ट-डेटेड चेक प्रस्तुत न करने का अनुरोध किया गया था, क्योंकि यह ज्ञात नहीं था कि ट्रॉलियां कब परिचालन शुरू करेंगी। कहा गया है कि वाहन चाप केवल 1.1997 को सड़क योग्य हो गया था, लेकिन इसके तुरंत बाद उत्तरदाताओं ने 21.2.1997 को पट्टे के किराए का भुगतान न करने के कारण पट्टे के समझौते को रद्द करने के संबंध में कारण बताओ नोटिस जारी किया था। याचिकाकर्ताओं के आगे के अभ्यावेदन ने एक संतोषजनक समझौता नहीं किया और प्रत्यर्थियों ने 20.8.1997 को पट्टे के समझौते को समाप्त कर दिया, जिसमें जेओसी को पट्टे के समझौते के संदर्भ में पेट्रोलियम उत्पादों के परिवहन की अनुमति नहीं देने का अनुरोध किया गया था। इसके बाद निगम ने ट्रॉलियों की बिक्री के लिए सीलबंद निविदाएं आमंत्रित करते हुए एक सूचना प्रकाशित की। 'कुछ ट्रॉलियों पर कब्जा करने के प्रयास के साथ विवाद बढ़ गया। इस बात पर कुछ विवाद है कि ट्रॉलियों का कब्जा कब लिया गया था, क्योंकि याचिकाकर्ताओं के अनुसार, यह सितंबर 1997 में था, जबकि उत्तरदाताओं ने कहा कि यह मार्च 1998 में था। इतना ही नहीं, प्रत्यर्थियों द्वारा दिनांक 24.9.1999 (अनुलग्नक पी-22) के एक नोटिस द्वारा Rs.71,62,193.91 के कथित बकाया के भुगतान पर संपार्श्विक प्रतिभूति के रूप में दी गई संपत्ति का कब्जा लेने की धमकी दी गई थी और राज्य वित्तीय निगम अधिनियम, 1951 (इसके बाद 'उक्त अधिनियम' के रूप में संदर्भित) की धारा 29 के प्रावधानों का सहारा लेकर गारंटरों की गिरवी रखी गई संपत्ति का कब्जा लेने की मांग की गई थी।

(2) उपरोक्त दिए गए तथ्यों पर, याचिकाकर्ताओं ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत वर्तमान रिट याचिका दायर की, जिसमें 24.9.1999 के नोटिस को रद्द करने की मांग की गई थी, जिसमें उत्तरदाताओं को अगस्त/सितंबर, 1997 से पट्टा किराया नहीं लेने/दावा नहीं करने का निर्देश दिया गया था, जब पट्टा समझौता समाप्त हो गया था।

(3) रिट याचिका का उत्तरदाताओं द्वारा विरोध किया गया है। यह दलील दी गई है कि याचिकाकर्ताओं के खाते अनियमित हो गए और इस प्रकार, प्रतिवादियों के पास पट्टे पर दिए गए वाहनों को जब्त करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था यह आरोप लगाया जाता है कि याचिकाकर्ता वाहनों के कुछ महत्वपूर्ण घटकों को हटाने में कामयाब रहे, जिसके लिए पुलिस रिपोर्ट भी दर्ज की गई थी। अंततः वाहनों को बेच दिया गया और राशि याचिकाकर्ताओं के खातों में जमा कर दी गई। बताई गई राशि समझौते की शर्तों के अनुसार ली गई है

(4) दिनांक 1.11.1999 के आदेश के संदर्भ में, याचिकाकर्ताओं के पक्ष में अंतरिम आदेश दिए गए थे, जिसमें प्रतिवादियों को याचिकाकर्ताओं के खिलाफ बकाया की वसूली के लिए कोई और दंडात्मक कार्रवाई करने से रोका गया था, बशर्ते याचिकाकर्ताओं ने रु। 10 लाख। 'उनके आदेश पत्रों से आगे पता चलता है कि उठाए गए मुख्य मुद्दों में से एक याचिकाकर्ताओं की याचिका थी कि प्रतिवादी नवंबर-1997 से ट्रॉलियों की नीलामी होने तक ब्याज का दावा करने के हकदार नहीं थे।बेशक, आईएल का ब्याज घटक पर इसी तरह का प्रभाव पड़ा है।

(5) "याचिकाकर्ताओं के लिए विद्वान वरिष्ठ वकील द्वारा हमारे समक्ष प्रस्तुत किया गया सिद्धांत तर्क इस दलील पर आधारित है कि उक्त अधिनियम की धारा 29 को देखते हुए, प्रतिवादी कर्नाटक राज्य वित्तीय निगम बनाम एन.Narasbnahai एव अन्य[1] में निहित कानून के मद्देनजर प्रतिभू की संपत्ति का कब्जा नहीं ले सकते थे। (I), उक्त याचिका की सराहना करने के लिए, धारा 29 को पुनः प्रस्तुत किया गया हैः

"29. चूक में आसानी से वित्तीय निगम के अधिकार (1) जहां कोई औद्योगिक निकाय, जो किसी समझौते के अधीन वित्तीय निगम के दायित्व के अधीन है, किसी ऋण या अग्रिम या उसकी किसी किस्त के पुनर्भुगतान में या निगम द्वारा दी गई किसी गारंटी के संबंध में अपने दायित्वों को पूरा करने में कोई चूक करता है या अन्यथा वित्तीय निगम के साथ अपने समझौते की शर्तों का पालन करने में विफल रहता है, वित्तीय निगम को प्रबंधन या कब्जा या दोनों औद्योगिक निकायों को संभालने का अधिकार होगा, साथ ही पट्टे या बिक्री के माध्यम से हस्तांतरण करने का अधिकार होगा और वित्तीय निगम को गिरवी रखी गई, गिरवी रखी गई, काल्पनिक या सौंपी गई संपत्ति को प्राप्त करने का अधिकार होगा।

1 (2008) 5 SCC 176

(2) वित्तीय निगम द्वारा की गई संपत्ति का कोई हस्तांतरण। उपधारा (1) के अधीन उपयुक्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अंतरिती को अंतरित संपत्ति में या उसके सभी अधिकार निहित होंगे जैसा कि संपत्ति के स्वामी द्वारा अंतरित किया गया था।

(3) 'वित्तीय निगम को पूरी तरह से या आंशिक रूप से उत्पादित या उत्पादित वस्तुओं के संबंध में वही अधिकार और शक्तियां होंगी जो उसके द्वारा रखी गई प्रतिभूति का हिस्सा हैं।

(4) जहां उपधारा (1) के उपबंधों के अधीन किसी औद्योगिक संस्था के विरुद्ध कोई कार्रवाई की गई है वहां वित्तीय निगम की राय में उसके द्वारा समुचित रूप से उपगत की गई सभी लागतें, प्रभार और व्यय औद्योगिक संस्था से वसूली योग्य होंगे और उसके द्वारा प्राप्त धन, इसके विपरीत किसी अनुबंध के अभाव में, प्रथमतः ऐसी लागतों, प्रभारों और व्यय के संदाय में और द्वितीयतः वित्तीय निगम को डी. सी. बी. टी. डी. यू. सी. के निर्वहन में, लागू किए जाने वाले न्यास में उसके द्वारा धारित किया जाएगा और इस प्रकार प्राप्त धन के अवशेष का संदाय उसके हकदार व्यक्ति को किया जाएगा।

(5) जहां वित्तीय निगम ने उपधारा (1) के उपबंधों के अधीन किसी औद्योगिक संस्था के विरुद्ध कोई कार्रवाई की है, वहां वित्तीय निगम को संस्था द्वारा या उसके विरुद्ध वाद के प्रयोजनों के लिए ऐसी संस्था का स्वामी समझा जाएगा और संस्था के नाम पर मुकदमा किया जाएगा और मुकदमा किया जाएगा। " (जोर दिया गया) 'मूल तर्क वित्तीय निगम के' औद्योगिक उद्यम 'का कब्जा लेने के अधिकार के साथ-साथ पट्टे या बिक्री के माध्यम से हस्तांतरण के अधिकार और वित्तीय निगम को गिरवी रखी गई, गिरवी रखी गई, काल्पनिक या सौंपी गई संपत्ति को प्राप्त करने के अधिकार पर था। 1 एकल उच्चतम न्यायालय ने यह मत व्यक्त किया कि इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि नागरिकों के सामान्य अधिकारों के अपमान में विशेष प्रावधान किए गए हैं, कानून को सख्त निर्माण प्राप्त होना चाहिए, 'एफएचसी देयता को उक्त अधिनियम की धारा 29 और 31 के दोनों प्रावधानों का सहारा लेकर या यहां तक कि उक्त अधिनियम की धारा 32 जी के तहत भी वसूल किया जा सकता है। हालांकि, औद्योगिक हित के लाभ के लिए वित्तीय निगम के पक्ष में दी गई जमानत या गारंटी के संबंध में यही स्थिति नहीं होगी। यह औद्योगिक सरोकार की संपत्ति होनी चाहिए।

(6) उक्त अधिनियम की धारा 31 में वित्तीय निगम द्वारा दावे के प्रवर्तन के लिए विशेष प्रावधान हैं। हालांकि, वे एक समझौते के उल्लंघन पर, एक वित्तीय निगम को जिला न्यायाधीश को आवेदन करने का अधिकार देते हैं, जिसके अधिकार क्षेत्र की सीमाओं के भीतर औद्योगिक सरोकार व्यवसाय करता है, पीएलसीडीसीडी, बंधक, काल्पनिक या असाइन की गई संपत्ति की बिक्री के लिए आदेश के लिए जिसमें किसी भी मुचलके के दायित्व को लागू करना शामिल है। धारा 32 जी भूमि राजस्व के बकाया के रूप में वित्तीय निगम को देय राशि की वसूली का अधिकार देती है।

(7) याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील ने चरण सिंह बनाम हरियाणा राज्य औद्योगिक और अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ के फैसले का भी उल्लेख किया और एक अन्य (2) जो इस निष्कर्ष पर पहुंचने में सर्वोच्च न्यायालय के उपरोक्त फैसले का अनुसरण करता है कि उक्त अधिनियम की धारा 29 वित्तीय निगम को अपनी संपत्ति और गारंटर को बेचने के लिए डिफॉल्टर के खिलाफ आगे बढ़ने की अधिकारिता प्रदान नहीं करती है।

(8) 1. याचिकाकर्ताओं के लिए अर्जित वकील, इस प्रकार, प्रतिवादी-निगम दिनांक 24.9.1999 के आक्षेपित नोटिस को संदर्भित करता है, जो वर्तमान याचिका में आरोपित है, जिसे उक्त अधिनियम की धारा 29 के तहत जारी किया गया था, जिसके तहत याचिकाकर्ता संख्या 2 से 4 को पेट्रोल पंप की बंधक संपत्ति का कब्जा लेने के लिए धमकी दी गई थी, यह तर्क देने के लिए कि यह नोटिस उपरोक्त कानूनी स्थिति के विपरीत था।

(9) उत्तरदाताओं के वकील ने यह दावा करते हुए उपरोक्त निर्णयों में अंतर करने का अनुरोध किया कि वर्तमान सहजता के विशिष्ट तथ्यों और परिस्थितियों में, उक्त अधिनियम की धारा 29 के तहत कार्रवाई बनाए रखने योग्य थी। इस पक्ष में, विद्वान वकील ने गारंटी का बांड प्रस्तुत किया, जिस पर निर्विवाद रूप से याचिकाकर्ता संख्या 2 से 4 द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे। अलग से एक घोषणा और वचननामा निष्पादित किया गया था 'बंधक संपत्ति के लिए अक्सर जमा किए गए दस्तावेजों द्वारा बनाए गए बंधक' के संबंध में,अग्रिम याचिका यह है कि याचिकाकर्ता नं. मैं और याचिकाकर्ता नंबर. 2 से 4 एक ही बात है, याचिकाकर्ता नंबर. 2 से 4 आर्क पार्टनर्स के याचिकाकर्ता नंबर। 1 और साझेदारी एक अलग कानूनी इकाई नहीं है।

(10) बाद के पहलू पर, याचिकाकर्ताओं के लिए विद्वान वकील की याचिका यह है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा जैसा कि W.A में केरल उच्च न्यायालय के डिवीजन बेंच के फैसले से स्पष्ट है। 2008 का No.478 शीर्षक। सी.थोमस बनाम केरल वित्तीय निगम और अन्य, 12.12.2008 को तय किया गया।

आसानी के तथ्य यह थे कि साझेदारी फर्म के साथ-साथ सह-आवेदकों से संबंधित अचल संपत्तियों को राज्य वित्तीय निगम के पक्ष में गिरवी रखा गया था

(11) हमारे विचार में, उपरोक्त निर्णय में कोई संदेह नहीं है कि धारा 29 का सहारा गारंटरों की संपत्तियों के खिलाफ एक दंडात्मक प्रक्रिया के रूप में नहीं लिया जा सकता है, बल्कि यह केवल औद्योगिक सरोकार तक ही सीमित है। तथ्य यह है कि बॉयरिंग इकाई एक पंजीकृत साझेदारी फर्म है और गिरवी रखी गई संपत्ति संयुक्त रूप से अपने भागीदारों याचिकाकर्ता संख्या 2 से 4 के स्वामित्व में है, इससे उपरोक्त निर्णय में उल्लिखित इस धारा में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यह, निश्चित रूप से, दस्तावेज प्रत्यर्थी-निगम को कानून के अनुसार उक्त अधिनियम की धारा 31 और 32 जी के प्रावधानों का सहारा लेने से नहीं रोकते हैं।

(12) उपर्युक्त का परिणाम यह है कि दिनांक 24.9.1999 का आक्षेपित नोटिस निरस्त कर दिया गया है और नियम को प्रतिवादी-निगम को उक्त अधिनियम की धारा 3.1 और 32 जी सहित कानून के अनुसार उक्त अधिनियम के अन्य अनुमेय प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई करने की स्वतंत्रता के साथ पूर्ण बना दिया गया है। दल अपना खर्च खुद वहन करने के लिए चले जाते हैं।

..एलएस। मेहंदीरत्ता

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

डा० सुशीला
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी
(Trainee Judicial Officer)
रोहतक,हरियाणा